

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी : जमनाशंकर

बनाम

विपक्षी सरकार

किरम मुकदमा : वाद

प्रकरण संख्या : 331 / 19

दिनांक: 15.04.2024

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण वादी के वारिसरन की नामकायमी हेतु काफी लम्बे समय से नियत है। पूर्व में भी वादी अधिवक्ता को नामकायमी हेतु कई अवसर दिए जा चुके हैं, किन्तु वादी द्वारा वारिसरन की नामकायमी नहीं कराई गई। न्यायलय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं एवम् यह मुकदमा अब नहीं चलाना चाहते हैं।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के अर्न्तगत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा-उदयपुर



